अपील सूचना अधिकार संख्या 164/2020 (RCMS 2020/287) दाऊलाल रंगा पुत्र श्री हरदास रंगा, राजरंगो की गली, रताणी व्यासो का चौक, बीकाने (मोबईल नं. 95095–56898) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़

26.07.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी दाऊलाल रंगा उपस्थित नहीं है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि **अपीलार्थी** दाऊलाल रंगा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ के समक्ष एक आवेदन पत्र दिनांक 13.10.2020 प्रस्तुत करके दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो उन्होंने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाने, 250/– रूपये प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति राशि दिलवाने एवं राजकीय/अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की प्रार्थना की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री दाऊलाल रंगा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 13.10.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ से निम्न सूचना चाही थी:

1. निवेदन है कि मुकदमा संख्या रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 29/2014 शिवशंकर बनाम स्टेट के पत्रावली के फर्द अहकाम दिनांक 19.06.2019 से 11.10.2020 तक की नकल उपलब्ध कराने का श्रम करे।
2. आगामी तारीख पेशी [illegible]त कराने का श्रम करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:37:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, कलक्ट्रेट, सूरतगढ ने अपने पत्रांक सूकाअ/21/1363 दिनांक 19.04.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है :

बिन्दु संख्या 1 से 2 का कोई जवाब अपेक्षित नही है।

बिन्दु संख्या 3–अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.10.2020 इस कार्यालय में दिनांक 23.10.2020 को प्राप्त हुआ जो सूचना का अधिकार रजि0 के पृष्ठ सं0 32 के क्रम संख्या 4 दिनांक 23.10.2020 को दर्ज किया गया है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय में विचाराधीन रिव्यू प्रार्थना–पत्र पत्रावली 29/14 शिवशंकर बनाम स्टेट में फर्द अहकाम 19.06.2019 से 11.10.2020 की प्रमाणित प्रति व आगामी तिथि से अवगत कराने का आवेदन किया था जो कार्यालय पत्रांक 906 दिनांक 09.11.2020 से भिजवा दी गई थी। प्रार्थी द्वारा स्वयं का पता व डाक टिकट लगा लिफाफा रजिस्टर्ड अथवा साधारण डाक से सूचना भिजवाने का संलग्न नही करने पर साधारण डाक से सूचना भिजवा दी गई थी। अपीलार्थी को सूचना समय भीतर प्रेषित की गई है। अपील निराधार एवं खारिज योग्य है।

बिन्दु संख्या 4 से 6 तक उपरोक्त बिन्दु संख्या 3 में अंकित तथ्यों को ही दोहराया है।

बिन्दु संख्या 7 अपील स[illegible] संबधित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:37:32 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
अति. जिला कलक्टर
सूरतगढ़

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 13.10.2020 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही है जो लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ ने अपने पत्र क्रमांक 906 दिनांक 09.11.2020 द्वारा भेजी जा चुकी है, इसलिए प्रार्थी की अपील खारिज करने योग्य

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(जाकिर हुसैन)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:37:32 IST
Reason: SelfAttested